Important notes and general conditions for submitting applications, selection process and employment:-

1. The application must be submitted as per the prescribed format only.
2. The applications for the above positions are invited through speed post /registered post only. No other means for application will be accepted.
3. The selection of professionals will be based on eligibility criteria and the rules set by the mission.
4. The candidate must have completed age of 21 year as on 01/01/2016.
5. The candidate must fill all the compulsory information in the application form.
6. Misrepresentation of facts in the application and on its disclosure at any stage, candidature will be rejected at any time and services will be terminated as the case may be.
7. Attach self attested copy of all the relevant documents with application. The information filled in the application must match with the originals, else it may lead to cause for rejection of candidature at any stage of recruitment / employment and/or legal action.
8. Candidate must submit separate application for more than one position. Multiple applications for same post may lead to all applications being summarily rejected. The panel reserves the right to make decisions in this regard.
9. Candidate must have completed the required education qualification and already obtained relevant certificate/degree at the time of application. All the certificates for the educational qualification must be issued from a recognized board or university.
10. Proficiency in computers, command on MS Office, usage of email and good communication skills are desirable for all the positions. Candidates should be able to work under pressure in a complex environment.
11. If applicant is presently employed in a lower position with Chhattisgarh Gramin Aajeevika Samvardhan Samiti (CGASS), s/he has to enclose "No Objection Certificate" issued by employer mandatorily with the application.
12. The application will be scrutinized on the basis of specified eligibility criteria and experience on nature of relevant experience.
13. Only qualified candidates will be called for the next level of selection process.
14. The candidate called for next level of selection, will be issued a hall ticket. The candidate has to paste recent passport size colored photographs and fill all the desired information on it.
15. The eligible candidates so short listed will be called for appearing in the written test.
16. First 10 candidates based on performance in written test will be called for final round of selection process, which consist of group discussion and personal interview.
17. The final merit list will be drawn based on performance in group discussion and personal interview of the candidates. Marks of previous stages will not be added.
18. Candidate must qualify all rounds of selection process. The cut-off marks for each level will be 40.
19. Failing on timely reporting for appearing in any level of recruitment may cause for cancellation of its candidature.
20. The experience claimed by the candidates should be backed with relevant testimonials and mandatorily be produced before the selection committee. The decision of selection committee in this regards will be final.
21. Reservation rule of Government of Chhattisgarh is applicable.
22. To and Fro expenses will be reimbursed for the travel made by shortest route to the candidates for appearing in the selection against reserved positions on submission of claims as per norms.
23. After final selection, the selected candidate has to undergo probation for three months. In non satisfactory of performance, probation period may further be extended for another three months. Performance under probation will determine further engagement of candidate with SRLM.
24. All employment will be on contractual basis, initially for one year, and extended based on performance and as per requirement of the CGSRLM.
25. Based on requirement of CGSRLM, selected candidate could be placed at any other place in Chhattisgarh in future.

26. Extensive field visit will be required for all positions. All the professionals engaged through this recruitment, will have to work with poor in the villages and stay engaged with them.
27. Any discrepancy in submission of facts, will lead to disqualification of candidates at any level of selection. The candidate may further be permanently disqualified for any future recruitment of SRLM and candidate shall be liable for any penal action.
28. During reference checks or cross verification by the committee, if any candidate is found guilty of indiscipline or illegal activities, his / her candidature may be cancelled at point of time.
29. No fee is proposed to be collected from candidates at any stage or for any reason.
30. Decision of committee in regard of the recruitment in any stage will be final and acceptable to all.
31. Criteria for rejection of Application:-
    - Application not submitted in prescribed format.
    - If candidate not meeting the eligibility criteria as laid down in the advertisement.
    - Self attested copies of all relevant documents not attached with the application form.
    - Incomplete or wrong information given in the application form.
    - Attempting to solicit support by promising favours or any other act that can be construed as solicitation, direct or indirect.
    - Any other valid reason found appropriate for rejecting the application.
32. The address for submission of application is –

    State Mission Director
    Chhattisgarh State Rural Livelihoods Mission
    Office of Development Commissioner
    Hall No.-38 (Block C-IV),
    1st Floor, Indravati Bhavan, Naya Raipur,
    C.G. 492015

Important notes and general conditions for submitting applications, selection process and employment:-

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप अनुसार ही भरना सुनिश्चित करें।
2. पदों हेतु आवेदन भारतीय डाक सेवा के पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य होगा। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित अर्हताओं एवं मिशन की नियुक्ति नियम के आधार पर होगा।
4. आवेदक की आयु 01/01/2016 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए।
5. आवेदन प्रपत्र में अनिवार्य जानकारी पूर्ण होनी चाहिए।
6. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है, कि आवेदक ने मिथ्या, तथ्यों के आधार पर नियुक्ति पायी है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
7. आवेदन पत्र के साथ समस्त संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है, कि आवेदन पत्र में भरी गयी जानकारी का मिलान प्रमाण–पत्रों से नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिये उम्मीदवार स्वतः जिम्मेदार होंगे।
8. एक से अधिक पदों हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना आवश्यक होगा। एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं करें। एक ही पद के लिये एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में समस्त आवेदन निरस्त किये जा सकेंगे। इस संबंध में समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
9. आवेदन करते समय आवेदक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त अर्हताएं पूर्ण होनी आवश्यक है। मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
10. कम्प्यूटर दक्षता, माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कार्य करने, ई–मेल का प्रयोग के साथ–साथ संचार कौशल उपरोक्त समस्त पदों हेतु वांछनीय होगा।
11. यदि आवेदक वर्तमान में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति में कार्यरत है, उच्च पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
12. आवेदनों की प्रथम चरण पर छंटनी निर्धारित पात्रता शर्तें एवं संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव के आधार पर होगी।
13. पात्र अभ्यर्थी ही नियुक्ति के अगले चरण में भाग लेने हेतु आमंत्रित किये जावेंगे।
14. नियुक्ति के अगले चरण हेतु पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। अभ्यर्थियों को उक्त प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चस्पाकर समस्त वांछित जानकारी भरना आवश्यक होगा।
15. पात्र अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।
16. लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर प्रथम 10 अभ्यर्थियों को समूह चर्चा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
17. अंतिम परिणाम हेतु वरीयता सूची समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के आधार पर तैयार किया जावेगा। पूर्व के अंक जोड़े नहीं जावेंगे।
18. अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण सफलतापूर्वक पास करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक चरण में न्यूनतम कट–ऑफ अंक 40 होगा।
19. चयन प्रक्रिया के समस्त चरणों में अभ्यर्थी निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
20. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में कार्यानुभव संबंधित जानकारियों के सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा जो सबके लिए मान्य होगा।
21. छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण संबंधी रोस्टर का पालन किया जावेगा।
22. आरक्षित वर्ग के पदो के उम्मीदवार द्वारा निकटतम दूरी से की गयी यात्रा का देयक प्रस्तुत करने पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जावेगी।

23. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के प्रथम तीन माह परीवीक्षा पर होंगे, जो कार्यों के संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। परीवीक्षा अवधि के मूल्यांकन उपरांत अभ्यर्थी की संविदा नियुक्ति निरंतर किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।
24. उपरोक्त विज्ञापित समस्त पद संविदा के हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की आवश्यकता एवं प्रति वर्ष कार्यों के मूल्यांकन पर संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में ही संविदा नियुक्ति एक–एक वर्ष के लिए आगे बढ़ायी जा सकेगी।
25. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की आवश्यकतानुसार भविष्य में चयनित अभ्यर्थी की पदस्थापना स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा।
26. उपरोक्त समस्त पदों हेतु निरंतर क्षेत्र प्रवास किये जाने की आवश्यकता होगी। उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को गरीब परिवारों के उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता होगी।
27. गलत या भ्रामक जानकारी देने अथवा मिथ्या, तथ्यों के उजागर होने की स्थिति में उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जावेगी एवं मिशन अंतर्गत होने वाली समस्त नियुक्तियों के लिये अपात्र घोषित किया जा सकेगा एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु आवेदक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
28. यदि कोई अभ्यर्थी जाँच/सत्यापन के दौरान अवांछित/अनैतिक कृत्य हेतु दोषी पाया जाता है, तो नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा नियुक्ति उपरान्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
29. पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है।
30. सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
31. आवेदन निम्नानुसार कारणों से निरस्त किये जा सकेंगे :–
    - यदि आवेदन निर्धारित प्रारूप में न हो।
    - यदि अभ्यर्थी विज्ञापन में दी गयी अर्हताएं नही रखता हो।
    - यदि संबंधित समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमापित प्रतिलिपियाँ आवेदन के साथ संलग्न नहीं की गयी हो।
    - आवेदन में अपूर्ण अथवा मिथक जानकारी दी गयी हो।
    - यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है।
    - उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वैध कारण।

32. आवेदन हेतु पता –

    मिशन संचालक,
    छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
    ब्लाक–चार, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक–38 (C-IV),
    इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
    छत्तीसगढ़

नोटः अंग्रेजी एवं हिन्दी में वर्णित सामान्य निर्देश में किसी प्रकार की भिन्नता/अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में दिये गये निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।